**न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली**
**पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.**

अपील संख्या : 69/2018

**अपीलांट**

भीमसिंह पुत्र श्री रावतसिंहजी ,जाति राजपूत निवासी एन्दलावास, तहसील एवं जिला पाली

**बनाम**

**रेस्पोडेन्टस्**

1. भंवरसिंह गोदपुत्र श्री छतरसिंह जी
2. भोपाल पुत्र श्री पन्ना जी, जातिगण राजपूत निवासीगण एन्दलावास, तहसील व जिला पाली
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार पाली

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

उपस्थित :–

1. श्री दौलत मकवाणा नौरतन चौहान, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री महेन्द्र नारायण ओझा विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 02 बावजूद सूचना अनुपस्थित
4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 03 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 13.09.2019.

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 101/2012 बउनवान भंवरसिंह बनाम भीमसिंह वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उक्त पक्षकार के विरूद्ध गुणवागुण पर निर्णय पारित किया जाता है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा गांव एन्दलावास पटवार हल्का गुडा एन्दला द्वितीय, तहसील व जिला पाली के खसरा नंबर 821 रकबा 8 बिस्वा भूमि, खसरा नंबर 822 रकबा 18 बीघा 1 बिस्वा भूमि किस्म चाही प्रथम, खसरा नंबर 855 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा कुल खसरा 3 रकबा 25 बीघा 7 बिस्वा में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

से 1/2 हिस्सा बंटवाडा कर घोषित कराने का निवेदन किया, साथ ही बेरा खसरा नंबर 841 के संबध स्थाई निषेधाज्ञा से अपीलांट को पांबद कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को नोटिस जारी किये गये। अपीलांट की ओर से आगामी पेशी दिनांक 23.10.12 को अधिवक्ता श्री सोहनराज जी मेहता ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। इसके पश्चात आगामी पेशी दिनांक 08.01.2013 को रेस्पोडेन्ट संख्या 02 स्वंय न्यायालय मे हाजिर हुआ। आगामी पेशी दिनांक 16.04.2013 को अपीलांट की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। उक्त पेशी दिनांक 16.04.2013 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपीलांट के जवाबदावा का जवाबुल जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहा, जिस पर एक अवसर दिया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 भोपालसिंह न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। उसके पश्चात दिनांक 09.07.2013 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का जवाब पेश नहीं करने पर पत्रावली वास्त ए.डी एवं तनकीयात हेतु नियत की गई। आदेशिका दिनांक 15.10.2013 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 एवं उसके अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से दावा अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। जो राजस्व विविध प्रकरण संख्या 140/13 में पारित आदेश दिनांक 28.01.2013 की पालना में पुनः बरामद कर पत्रावली वास्त ए.डी पेशी तारीख 13.03.2013 नियत की गई। उसके पश्चात पत्रावली पेशी दिनांक 13.03.2013 से 12.12.2017 तक पत्रावली कायमी तनकीयात में नियत रही। उसके पश्चात पेशी दिनांक 03.01.2018 को वाद में तनकीयात पृथक कायम की जाकर बाद विवेचना के शामिल मिसल की गई, एवं पत्रावली वास्ते शहादत वादी नियत की गई। शहादत वादी ने गवाह वादी/रेस्पोडेन्ट भंवरसिंह के मुख्य बयान का शपथ–पत्र पेशी तारीख 30.01.2018 को पेश किया गया। दिनांक 13.03.2018 को गवाह भंवरसिंह उपस्थित आया। किन्तु अपीलांट के अधिवक्ता ने जिरह हेतु अवसर चाहा, जिस पर न्यायहित में अवसर दिया गया। पत्रावली वास्ते शहादत वादी दिनांक 25.06.2018 नियत की गई। उसके पश्चात आगामी पेशी दिनांक 25.06.2018 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प गुडा एन्दला में रखकर बिना अपीलांट को जिरह, साक्ष्य, सबूत पेश करने का पूर्ण अवसर दिये बिना जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। लोक अदालत एवं न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट का उदेश्य न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणो का निस्तारण पक्षकारो के मध्य समझाईश में राजीनामा के माध्यम से किया जाना है और अगर पक्षकारो में राजीनामा की संभवाना न हो तो पत्रावली नियमित पेशी में नियत की जाती है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना न्यायिक प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये लोक अदालत कैम्प में जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त की जाकर पत्रावली रिमांड फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा गांव एन्दलावास

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पटवार हल्का गुडा एन्दला द्वितीय, तहसील व जिला पाली के खसरा नंबर 821 रकबा 8 बिस्वा भूमि, खसरा नंबर 822 रकबा 18 बीघा 1 बिस्वा भूमि किस्म चाही प्रथम, खसरा नंबर 855 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा कुल खसरा 3 रकबा 25 बीघा 7 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा बंटवाडा कर घोषित कराने का निवेदन किया, साथ ही बेरा खसरा नंबर 841 के संबध स्थाई निषेधाज्ञा से अपीलांट को पांबद कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज कर अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को नोटिस जारी किये गये, जिस पर अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री सोहनराज जी मेहता ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.06.2018 को लोक अदालत कैम्प में स्वंय उपस्थित होकर आदेशिका पर अपने अगूंठा लगाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जिससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट स्वंय उपस्थित होकर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित करने में अपनी सहमति प्रस्तुत की। उक्त सहमति के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा गांव एन्दलावास पटवार हल्का गुडा एन्दला द्वितीय, तहसील व जिला पाली के खसरा नंबर 821 रकबा 8 बिस्वा भूमि, खसरा नंबर 822 रकबा 18 बीघा 1 बिस्वा भूमि किस्म चाही प्रथम, खसरा नंबर 855 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा कुल खसरा 3 रकबा 25 बीघा 7 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा बंटवाडा कर घोषित कराने का निवेदन किया, साथ ही बेरा खसरा नंबर 841 के संबध स्थाई निषेधाज्ञा से अपीलांट को पांबद कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को नोटिस जारी किये गये। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री सोहनराज जी मेहता ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया। उसके पश्चात पत्रावली निरन्तर पत्रावली वास्ते वादी शहादत में नियत रही। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 12.04.2018 के अनुसार वादी शहादत हेतु अवसर चाहते है जो न्यायहित हित में दिया जाकर पत्रावली दिनांक 25.06.2018 को पेश हो। का अंकन है। उसके पश्चात आगामी पेशी दिनांक 25.06.2018 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत 2018 कैम्प गुडा एंदला में रखकर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। अब उक्त प्रकरण में कानूनी बिन्दु यह उद्भूत होता है कि क्या बिना आपसी सहमति के राजस्व लोक अदालत कैम्प में निर्णय पारित किया जाना उचित है ? इस सम्बन्ध में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0सी0आर0 (सिविल) 2006(4) पेज 947 सहित विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "Legal Services Authorities Act 1987, Section 20- Power of disposal of cases by Lok Adalat- No order can be passed by Lok Adalat if no compromise or settlement is or could be arrived at between parties" इसका विस्तृत विवेचन इस प्रकार किया है कि "The specific language used in sub-section of Section 20 makes it clear that the Lok adalat can dispose of a matter by way of a compromise or settlement between the parties, Two crucial terms in sun-section (3) and (5) of Section 20 are"compromise" and "settelment"The former expression means settlement of differences by mutual concessions. it is an agreement reached by adjustment of confficting or opposing claims by reciprocal modification of demands. As per Terms deLey, compromise is a mutual promise of two or more parties that are at controversy. As per Bouvier it is "an agreement between two or more persons, who to avoid a law suit, amicably settle their differences, on such terms as they can agree upon" The word "compromise "implies some element o accommodation on each side. it is not apt to describe total surrender. A compromise is always bilateral and means mutual adjustment. "Settelment" is a termination of legal proceedings by mutual consent. If no compromise or settlement is or could be arrived at, no order and be passed by the Lok Adalat " इसी प्रकार एस0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 9194/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि जब पक्षकारान् के मध्य राजीनामा अथवा सहमति नहीं हो, तो लोक अदालत के माध्यम से आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त न्यायिक सिद्धान्तों से यह स्पष्ट है कि राजस्व लोक अदालत के माध्यम से निर्णय पारित करने हेतु दोनो पक्षों की उपस्थिति एवं उनमें राजीनामा होना आवश्यक है, बिना राजीनामे के लोक अदालत के तहत आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। उक्त अभिनिर्णयों से हस्तगत प्रकरण पूर्णतया प्रभावित होते है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद वास्ते वादी शहादत हेतु विचाराधीन था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने हस्तगत प्रकरण में बिना तनकीयात कायम किये उन पर संग्रहित साक्ष्यों पर तनकीयात विनिश्चय किये प्रशासन गांवो के संग लोक अदालत कैम्प में विधि विरूद्ध रूप से कार्यवाही करते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री की गई है, जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। तथा सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 101/2012 बउनवान भंवरसिंह

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

बनाम भीमसिंह वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2018 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 13.09.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली